गाज़ियाबाद विकास प्राधिकरण की 153वीं बोर्ड बैठक दिनॉक 25.06.2019 का कार्यवृत्त

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की 153वीं बोर्ड बैठक दिनॉक 25.06.2019 को सम्पन्न हुई जिसमें निम्नलिखित अधिकारियों/सदस्यों द्वारा भाग लिया गयाः–

1.	श्रीमती अनीता सी0 मेश्राम, आयुक्त मेरठ मण्डल मेरठ		अध्यक्ष
2.	श्रीमती कंचन वर्मा, उपाध्यक्ष, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, गाजियाबाद		उपाध्यक्ष
3.	श्रीमती रितु माहेश्वरी, जिलाधिकारी गाजियाबाद		सदस्य
5.	श्री अतुल कुमार सिंह, अपर/संयुक्त निदेशक, कोषागार एवं पेंशन मेरठ मण्डल, मेरठ		सदस्य
6.	श्री दिनेश चन्द्र, नगर आयुक्त, नगर निगम गाजियाबाद		सदस्य
7.	श्री सतीश चन्द गौड, चीफ कोआर्डिनेट प्लानर एन0सी0आर0 सेल, गाजियाबाद		सदस्य
8.	श्री अनिल कुमार वाजपेयी, एस0ई0 जलनिगम, गाजियाबाद		सदस्य
9.	श्रीमती स्मिता सिंह, क्षेत्रीय प्रबन्धक, उ0प्र0 राज्य औद्योगिक विकास निगम		सदस्य
10.	श्री भोलानाथ, संयुक्त आवास आयुक्त सम्पत्ति विभाग, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, सैक्टर–16, वसुन्धरा (मेरठ जोन)		सदस्य
11.	मौ0 आसिफ खान		गैर सरकारी सदस्य
12.	श्रीमती कृष्णा त्यागी		गैर सरकारी सदस्य
13.	श्री सचिन डागर		गैर सरकारी सदस्य
14.	श्री हिंमाशु मित्तल		गैर सरकारी सदस्य

बैठक प्रारम्भ होने से पूर्व अध्यक्ष महोदया एवं अन्य सदस्यों का स्वागत किया गया एवं अध्यक्ष महोदया की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ हुई। बैठक के एजेन्डा बिन्दुओं पर विस्तृत विचार–विमर्श उपरान्त सर्व–सम्मति से निम्नवत् निर्णय लिये गये :–

<table>
<tr><th>मद
सं0</th><th></th><th>विषय</th><th colspan="2">निर्णय</th></tr>
<tr><td>153 / 1
प्रशासन</td><td></td><td>प्राधिकरण की बोर्ड बैठक दिनांक 15.06.2018 के कार्यवृत्त की पुष्टि ।</td><td colspan="2">बोर्ड द्वारा प्राधिकरण की 151वीं बोर्ड बैठक दिनॉक 15.06.2018 के कार्यवृत्त की पुष्टि सर्व सम्मति से की गई ।</td></tr>
<tr><td rowspan="3">153 / 2
प्रशासन</td><td rowspan="3"></td><td rowspan="3">गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की 152वीं बोर्ड बैठक दिनॉक 06.03.2019 के कार्यवृत्त पर अनुपालन आख्या ।</td><td>प्रस्ताव</td><td>निर्णय</td></tr>
<tr><td>गाजियाबाद विकास प्राधिकरण का वित्तीय वर्ष 2018–19 का पुनरीक्षत एवं वित्तीय वर्ष 2019–20 का प्रस्तावित आय–व्यय।</td><td>गाजियाबाद विकास प्राधिकरण का वित्तीय वर्ष 2018–19 का पुनरीक्षित एवं वित्तीय वर्ष 2019–20 का प्रस्तावित आय–व्यय सर्व सम्मति से स्वीकृत किया गया।</td></tr>
<tr><td>प्राधिकरण की अनिस्तारित सम्पत्तियों के नीलामी / लाटरी द्वारा निस्तारण किये जाने हेतु न्यूनतम आरक्षित दरों के निर्धारण हेतु प्राधिकरण की योजनाओं का सैक्टर रेट दिनांक 31 मार्च 2020 तक फ्रीज अवधि बढाये जाने का प्रस्ताव मा0 बोर्ड के समक्ष विचारार्थ / अनुमोदनार्थ प्रेषित किये जाने के सम्बन्ध में।</td><td>प्रस्ताव सर्व सम्मति से स्वीकृत किया गया</td></tr>
</table>

153/3 नियोजन		राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के उत्तर प्रदेश संभाग में वेयरहाउसिंग तथा लॉजिस्टिक की विशेष नीति बनाये जाने के सम्बन्ध में।	वेयरहाउसिंग तथ लॉजिस्टिक हब की नीति बनाये जाने के लिए जिलाधिकारी गाजियाबाद के प्रतिनिधि, चीफ कॉर्डिनेटर प्लानर एन0सी0आर0 सेल गाजियाबाद तथा मुख्य वास्तुविद एवं नगर नियोजक गाजियबाद विकास प्राधिकरण की एक समिति गठित की जाये। जो इन गतिविधियों के लिये लोकेशन्स चिन्हीकरण वांछित इन्फोन्टिक्स तथा अन्य राज्यों में इन गतिविधियों के लिए तैयार की गयी नीतियों का अध्यन कर आगामी बोर्ड बैठक में विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत करेगी।
153/4 नियोजन		मैसर्स उत्पल चड्ढा हाईटेक डेवलपर्स प्रा0लि0 द्वारा एन0एच0–24 पर विकसित की जा रही हाईटेक टाउनशिप के संशोधित डी0पी0आर0 (4494.31 एकड़)/लें–आउट प्लान (4004.25 एकड़) की स्वीकृति के सम्बन्ध में।	विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त यह तथ्य सामने आया है कि टाउनशिप की वैधता अवधि जुलाई 2019 तक की है तथा विकासकर्ता द्वारा वैधता अवधि बढाये जाने का प्रस्ताव शासन में प्रस्तुत कर दिया गया है। साथ ही मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा पारित आदेश के क्रम में गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा शासन के दिशा–निर्देश भी मांगे गये है। अतः शासन के दिशा–निर्देश प्राप्त होने के उपरान्त संशोधित डी0पी0आर0 की स्वीकृति का प्रस्ताव प्रस्तुत किये जाने का निर्णय लिया गया।
153/5 नियोजन		गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के नये कार्यालय भवन निर्माण के सम्बन्ध में।	विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त मधुबन बापूधाम योजना में प्राधिकरण का नया कार्यालय भवन बनाये जाने की स्वीकृति इस शर्त के साथ प्रदान की गयी कि भवन का निर्माण मितव्ययता के सिद्धान्तों को अपनाते हुए किया जाये।
153/6 नियोजन		मधुबन बापूधाम योजना के तलपट मानचित्र में संशोधन के सम्बन्ध में।	विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त प्रस्तावानुसार स्वीकृति प्रदान की गयी।
153/7 नियोजन		प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत/नियोजित कालोनियों के सैट बैक के निर्धारण के सम्बन्ध में।	विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त यह निर्णय लिया गया कि चीफ कोर्डिनेटर प्लानर से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार कार्यवाही की जाये तथा पुराने स्वीकृत तलपट मानचित्रों के अनुसार ही सैटबैक लागू किये जायें।
153/8 नियोजन		गाजियाबाद में क्रियान्वित की जा रही हाईटैक/इन्टीग्रेटिड टाउनशिप योजनाओं की प्रगति के सम्बन्ध में।	हाईटैक/इन्टीग्रेटिड टाउनशिप योजनाओं की प्रगति का अवलोकन किया गया।

153 / 9 नियोजन	मै0 दुर्गा एन्टरप्राईजेज प्रा0 लि0 के डायरेक्टर श्री अंकुर अग्रवाल द्वारा खसरा सं0–1 से 25, 27 से 32, 37 से 40, 41 मि0 ग्राम झण्डापुर एवं खसरा संख्या–451,448, 449, 450 / 1, 452 / 2, 452 / 1, 454, 455 / 2, 456 / 1, 457, 458, 460, 461, 463, 464 / 2, 465 / 1,466, 467, 468मि0 / 2, ग्राम जगौला व 4974/6 ग्राम– पसौण्डा तहसील व जिला गाजियाबाद पर प्रस्तुत औद्योगिक पार्क/भूखण्डों के तलपट मानचित्र के सम्बन्ध में।	विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त प्रस्तावानुसार स्वीकृति प्रदान की गयी।
153 / 10 नियोजन	मै0 अंसल प्रापट्रीज एण्ड इन्फ्रा0 लि0 द्वारा विकसित की जा रही इन्टीग्रेटिड टाउनशिप के पुनरीक्षित ले–आउट प्लान की स्वीकृति के सम्बन्ध में।	विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त प्रस्तावानुसार स्वीकृति प्रदान की गयी।
153 / 11 नियोजन	मानचित्र स्वीकृति प्रक्रिया के सरलीकरण के सम्बन्ध में।	मुख्य नगर नियोजक गाजियाबाद विकास प्राधिकरण तथा चीफ कोर्डिनेटर प्लानर एन0सी0आर0 द्वारा प्रस्ताव के विस्तृत परीक्षण उपरान्त प्रस्ताव पुनः प्रस्तुत किया जाये।
153 / 12 नियोजन	प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत निजी विकासकर्ताओं द्वारा प्रस्तावित परियोजनाओं की भूमि के भू–उपयोग में परिवर्तन के सम्बन्ध में।	विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त संस्तुति सहित प्रस्ताव अग्रिम कार्यवाही हेतु शासन को प्रेषित करने का निर्णय लिया गया।
153 / 13 नियोजन	खन्ना नगर कालोनी के तलपट मानचित्र में सृजित सिनेमा भूखण्ड के उपयोग परिवर्तन के सम्बन्ध में।	विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त प्रस्ताव निरस्त किया गया। पुराने सिनेमाघरों को तोडकर नया कामर्शियल कॉम्पलैक्स बनाने तथा उसके साथ न्यूनतम 125 मी0 का सिंगल स्क्रीन बनाये जाने के सम्बन्ध में शासन को कारण सहित नीति में संशोधन हेतु पत्र भेजा जाये।
153 / 14 नियोजन	राजनगर डिस्ट्रिक्ट सैन्टर को Vehicle Free Zone बनाये जाने के सम्बन्ध में।	प्रस्तावनुसार स्वीकृति प्रदान की गयी।
153 / 15 नियोजन	मै0 लैण्डक्राफ्ट डवलपर्स प्रा0लि0 द्वारा ग्राम–महरौली, परगना–डासना, तहसील व जिला गाजियाबाद में विकसित किये जा रहे प्रोजैक्ट गोल्फ लिंक इन्टीग्रेटिड टाउनशिप के प्रस्तुत पुनरीक्षित ले–आउट प्लान के सम्बन्ध में।	विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त प्रस्तावानुसार स्वीकृति प्रदान की गयी।
153 / 16 मुख्य अभियन्ता	नेहरूनगर योजना के अन्तर्गत निर्मित स्टेडियम के किक्रेट ग्राउण्ड एवं नेट प्रैक्टिस एरिया के अनुरक्षण एवं संचालन का कार्य लीज पर दिये जाने के सम्बन्ध में।	प्रस्ताव पर विमर्श के दौरान गैर सरकारी सदस्यों द्वारा प्रस्ताव पर आपत्ति व्यक्त की गई। विस्तृत विचार–विमर्श के उपरान्त बोर्ड द्वारा प्रस्तावानुसार स्वीकृति प्रदान की गयी तथा निर्देशित किया गया

		कि प्रतिबन्धों एवं शर्तों के शत–प्रतिशत पालन हेतु उपाध्यक्ष, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा एक समिति गठित की जाये, जिसमें एक गैर सरकारी सदस्य को भी सम्मिलित किया जाये।
153 / 17 मुख्य अभियन्ता	कर्पुरीपुरम में स्थित स्टाफ क्वार्टर को विक्रय करने एवं सम्पत्ति का पुर्न नियोजन कर निस्तारण करने के सम्बन्ध में।	विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त प्रस्तावानुसार इस शर्त के साथ स्वीकृति प्रदान की गयी कि शासन को अनुमोदन हेतु प्रेषित किया जाये।
153 / 18 मुख्य अभियन्ता	प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित भवनों के विक्रय किये जाने पर प्राप्त होने वाली धनराशि एवं इनके निर्माण पर आ रही लागत के अन्तर की धनराशि को अन्यत्र भारित किये जाने के सम्बन्ध में।	विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त प्रस्तावानुसार स्वीकृति प्रदान की गयी।
153 / 19 मुख्य अभियन्ता	गाजियाबाद विकास प्राधिकरण में कार्यरत सुपरवाईजरों / मेटों के दायित्वों (वर्कचार्ट) के निर्धारण के सम्बन्ध में।	विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त प्रस्तावानुसार स्वीकृति प्रदान की गयी।
153 / 20 व्यवसायिक	प्राधिकरण की विभिन्न योजनाओं में विद्यालयों / शैक्षिक संस्थाओं को खेल–कूद मैदान के लिए अनुज्ञप्ति पर आवंटित भूमि की दरें निर्धारित किये जाने के सम्बन्ध में।	विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त प्रस्तावानुसार निर्णय लिया गया कि चूंकि पूर्व में रू0–1 / – प्रतिवर्गमीटर की दरें शासन द्वारा निर्धारित की गयी जिसमें प्राधिकरण द्वारा रू0–10 / – प्रतिवर्गमीटर पूर्व में निर्धारित किया जा चुका है। अतः रू0–100 / – प्रतिवर्गमीटर निर्धारित करते हुए शासन को अनुमोदनार्थ प्रेषित कर दिया जाये।
153 / 21 व्यवसायिक	प्राधिकरण की मधुबन बापूधाम योजना एवं कोयल एन्क्लेव योजना में थाना स्थापित करने हेतु भूमि आवंटन के सम्बन्ध में।	विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त प्रस्तावानुसार स्वीकृति प्रदान की गयी।
153 / 22 व्यवसायिक	प्राधिकरण द्वारा आवंटित सम्पत्तियों जिनकी धनराशि समय से जमा न करने के कारण आवन्टियों के विरूद्ध जिलाधिकारी के माध्यम से वसूली हेतु आरसी जारी की गयी है उन प्रकरणों में जिलाधिकारी के खाते में जमा धनराशि की तिथि को जमा की तिथि माने जाने के सम्बन्ध में।	विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त प्रस्तावानुसार स्वीकृति प्रदान की गयी।
153 / 23 सम्पत्ति	प्रताप विहार योजना (ई0डब्लू0एस0) दुर्बल आय वर्ग योजना संख्या–764 एवं राजेन्द्र नगर योजना कोड 765 के दर निर्धारण के सम्बन्ध में।	विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त निर्णय लिया गया कि ब्रोशर के अनुसार सूचित मूल्य रू0 2 लाख प्रति भवन के अनुसार इस शर्त के साथ अनुबन्ध की कार्यवाही करते हुए कब्जा आबंटियों को जारी कर दिया जाये कि यदि मा0 आयोग द्वारा पुनरीक्षित दर रू0 7 लाख प्रति भवन को उचित माना जाता है तो आबंटी को मा0 न्यायालय के अनुसार पुनरीक्षित धनराशि देय होगी।

153/24 सम्पत्ति		श्री के0सी0 साहा लोकायुक्त बिहार को आवंटित भवन संख्या–गोल्डन बैल–403 में जमा धनराशि को बिना कटौती के धनराशि वापस किये जाने के सम्बन्ध में।	विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त निर्णय लिया गया कि वित्त नियत्रंक की अध्यक्षता में वरिष्ठ प्रभारी सम्पत्ति, अधिशासी अभियन्ता–योजना, सम्पत्ति प्रभारी जोन–3 की समिति गठित की जाय। समिति की संस्तुति सहित पुनः प्रस्ताव आगामी बोर्ड बैठक में प्रस्तुत किया जाये।
153/25 सम्पत्ति		मधुबन बापूधाम बहुमंजिले, वैशाली एम.आई.जी./ ई.डब्लू.एस. व कौशाम्बी गंगोत्री टावर में उपलब्ध भवनों को पहले आओ पहले पाओ के आधार पर विक्रय किये जाने हेतु योजना घोषित किये जाने के सम्बन्ध में।	विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त प्रस्तावानुसार स्वीकृति प्रदान की गयी।
153/26 सम्पत्ति		डा0 आलिया जुबेरी, पूर्व सांसद को आवंटित भवन संख्या–404 कामदगिरी कौशाम्बी में दिनांक 19.07.2012 से कब्जा पत्र जारी करने की तिथि तक तथा अवैध कब्जे के समय का ब्याज रू0–10,81,798/– ना लिये जाने के सम्बन्ध में।	विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त प्रस्तावानुसार स्वीकृति प्रदान की गयी।
153/27 प्रवर्तन जोन–6		उ0प्र0 नगर योजना और विकास (विकास शुल्क का निर्धारण, उद्ग्रहण एवं संग्रहण) नियमावली 2014 के प्राविधान नियम 3 (पांच) के सम्बन्ध में	प्रस्ताव पूर्व में ही शासन को प्रेषित किया गया है अतः शासन के निर्णय की प्रतीक्षा कर ली जाये।
153/28 प्रवर्तन जोन–1		प्राधिकरण में स्वीकृति/शमन हेतु प्राप्त मानचित्र आवेदनों पर एलिवेटिड रोड चार्ज एवं मैट्रो सेस आरोपित किये जाने के सम्बन्ध में।	निरस्त किया गया।
153/29 प्रशासन		श्री राधेश्याम तिवारी, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की पत्नी श्रीमती महेश्वरी तिवारी के ईलाज में हुए व्यय के भुगतान के सम्बन्ध में	विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त प्रस्तावानुसार स्वीकृति प्रदान की गयी।
153/30 प्रशासन		दिनांक–01.01.2016 के उपरान्त प्राधिकरण केन्द्रीयित /अकेन्द्रीयित सेवा के सेवानिवृत्ति कर्मचारियों को सातवें वेतनमान के अनुसार पेंशन दिये जाने के सम्बन्ध में।	विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त शासन को सन्दर्भित किये जाने का निर्णय लिया गया।
153/31 किराया		दुकान संख्या–बी–9 कविनगर के सम्बन्ध में।	विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त प्रस्तावानुसार स्वीकृति प्रदान की गयी।
153/32 नियोजन		उ0प्र0 इनर्जी कन्जेंशन बिल्डिंग कोड (यू0पी0 ई.सी.बी.सी. कोड) 2018 की अधिसूचना के अनुसार भवन निर्माण एवं विकास उपविधि 2008 (यथासंशोधित 2011 एवं 2016) में संशोधन के सम्बन्ध में।	सम्बन्धित शासनादेश को अंगीकृत किया गया।

153/33 नियोजन		मै0 ईगल कान्टीनेन्टल फूड्स प्रा0लि0 द्वारा प्रस्तुत आवेदन के कम में राजस्व ग्राम–कल्लूगढी डासना के खसरा संख्या–1876 की आवासीय भू–उपयोग की 9000 वर्ग मी0 भूमि को औद्योगिक भू–उपयोग परिवर्तन के सम्बन्ध में।	भू–उपयोग परिवर्तन का प्रस्ताव पूर्व में ही परिचालन के माध्यम से स्वीकृत उपरान्त शासन को प्रेषित कर दिया गया है। प्रस्ताव पर प्राधिकरण बोर्ड के गैर सरकारी सदस्यों द्वारा आपत्ति व्यक्त की गई। जिलाधिकारी तथा नगरायुक्त द्वारा भी प्रस्ताव पर कतिपय बिन्दुओं पर आपत्ति प्रकट की गई। विचारोपरान्त बोर्ड द्वारा निर्देशित किया गया कि प्रस्ताव पर असहमति तथा जिलाधिकारी व नगरायुक्त द्वारा उठाये गये तथ्यात्मक बिन्दुओं के दृष्टिगत जिलाधिकारी गाजियाबाद से पुनः विस्तृत तथ्यात्मक आख्या प्राप्त कर बोर्ड के समक्ष रखा जाये। इस दौरान पूर्व प्रेषित प्रेषित प्रस्ताव पर निर्णय स्थगित रखे जाने हेतु शासन को पत्र प्रेषित किया जाये।
153/34 भू–अर्जन		इन्दिरापुरम विस्तार योजना हेतु ग्राम महीउद्दीनपुर कनावनी की अर्जित की गयी 229.5390 एकड भूमि के सम्बन्ध में भूमि अर्जन, पुर्नवासन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 लागू होने के फलस्वरूप उत्पन्न प्रतिकर सम्बन्धी जटिलताओं के कारण अर्जन से विरत करते हुए डिनोटिफिकेशन की कार्यवाही किये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव।	विस्तृत विचारोपरान्त बोर्ड द्वारा ग्राम–कनावनी की 35 है0 भूमि, जिन पर याचिकायें लम्बित है, उनके डिनोटीफिकेशन प्रस्ताव शासन को प्रेषित किये जाने पर सहमति प्रदान की गयी। इसी प्रकार ईशान इण्टरनेशनल सोसायटी के प्रकरण में सोसायटी की भूमि के पूर्व प्रेषित डिनोटिफिकेशन प्रस्ताव के सम्बन्ध में बोर्ड की संस्तुति सहित शासन को पुनः प्रेषित किये जाने का निर्णय लिया गया।
153/35 सम्पत्ति		पुर्नवास योजना के झुग्गी झोपडी एवं साईट एण्ड सर्विसेज, सैक्टर–11 व 12 विजयनगर के भवनों एवं भूखण्डों का मा0 बोर्ड द्वारा दिनांक–31.12.2011 तक फ्रीज के मूल्य पर देय ब्याज की धनराशि फ्रीज करने एवं आवंटियों को दिनांक 31.03.2020 तक अन्तिम अवसर प्रदान करने के सम्बन्ध में।	विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त प्रस्ताव स्थगित रखते हुए आगामी बोर्ड बैठक में प्रस्तुत किये जाने का निर्णय लिया गया।
153/36 प्रशासन		श्री राजेन्द्र त्यागी, सेवानिवृत विधि अधिकारी को सेवानिवृत्ति उपरान्त पेंशन एवं उपादान भुगतान के सम्बन्ध में।	विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त प्रस्ताव स्थगित रखते हुए आगामी बोर्ड बैठक में प्रस्तुत किये जाने का निर्णय लिया गया।
153/37 प्रशासन		श्री वी0के0 सिंह, पी0सी0एस0 विशेषकार्याधिकारी, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के नवजात पुत्र के ईलाज में हुए व्यय के भुगतान के सम्बन्ध में।	विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त प्रस्तावानुसार स्वीकृति प्रदान की गयी।
153/38 सुरक्षा		गाजियाबाद विकास प्राधिकरण में प्रवर्तन/अतिक्रमण की व्यवस्था एवं प्राधिकरण सम्पत्तियों की सुरक्षा हेतु होमगार्डस नियुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।	विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त प्रस्तावानुसार स्वीकृति प्रदान की गयी।

Kaushan

153/39 नियोजन		प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत निजी विकासकर्ताओं द्वारा प्रस्तावित परियोजनाओं की भूमि के भू–उपयोग में परिवर्तन के सम्बन्ध में।	विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त प्रस्तावानुसार स्वीकृति प्रदान की गयी।
153/40 नियोजन		ग्राम प्रहलादगढ़ी गाजियाबाद के खसरा सं0 676 एवं 677 तथा ग्राम दुहाई के खसरा सं0 639 की ग्रीन बेल्ट भू–उपयोग की भूमि पर CNG पेट्रोल पम्प स्थापना हेतु जोनिंग रेगुलेशन के प्राविधानों के अनुसार विशेष अनुमति से अनुमन्य क्रियाओं की अनुमति के सम्बन्ध में।	विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त प्रस्ताव स्थगित रखते हुए आगामी बोर्ड बैठक में प्रस्तुत किये जाने का निर्णय लिया गया।
153/41 नियोजन		अक्षय पात्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत आवेदन के कम में रसोई बनाने हेतु ग्राम–मसूरी के खसरा संख्या–582मि0 क्षेत्रफल 0.4050 हे0 कृषि भू–उपयोग की भूमि का व्यवसायिक भू–उपयोग में परिवर्तन किये जाने के सम्बन्ध में।	उपाध्यक्ष, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक के प्रतिनिधि, चीफ कोआर्डिनेटर प्लानर, एनसीआर सेल तथा मुख्य नगर नियोजक, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, गाजियाबाद की समिति का गठन कर प्रस्ताव का परीक्षण कराते हुए शासन को भू–उपयोग परिवर्तन हेतु प्रस्ताव प्रेषित किया जाये।
153/42 नियोजन		ईज ऑफ डूईंग बिजनेस के अन्तर्गत ऑनलाईन मानचित्रों की स्वीकृति हेतु ऑनलाईन बिल्डिंग प्लान अप्रूवल सिस्टम (OBPAS) को उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद तथा प्रदेश के समस्त विकास प्राधिकरण में लागू किये जाने के सम्बन्ध में।	सम्बन्धित शासनादेश प्राधिकरण बोर्ड द्वारा अंगीकृत किया गया।

अन्त में धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक समाप्त की गई ।

(संतोष कुमार राय)
सचिव
गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

Kanchan
(कंचन वर्मा)
उपाध्यक्ष
गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

अनुमोदित

(अनीता सी0 मेश्राम)
अध्यक्ष, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण /
आयुक्त, मेरठ मण्डल, मेरठ